

# लीसेस्टर में वयस्कों की सुरक्षा

## Safeguarding adults in Leicester

### वयस्क सुरक्षा कार्य क्या है?

सुरक्षा कार्य का अर्थ है किसी वयस्क के दुर्व्यवहार और उपेक्षा से मुक्त व सुरक्षा के साथ जीने के अधिकार की रक्षा करना। यह उन लोगों और संस्थाओं के सन्दर्भ में है जो दुर्व्यवहार और उपेक्षा के जोखिम और इसके अनुभव दोनों को रोकने और होने से रोकने के लिए एक साथ मिल कर काम करते हैं। वयस्क सुरक्षा कार्य एक ऐसा काम है जो ऐसे वयस्कों के साथ किया जाता है जिन्हें हानि होने का जोखिम पेश हो, यह कार्य उनकी भागीदारी, पसंद और नियंत्रण को बढ़ावा देता है।

### जोखिम अधीन वयस्क कौन होता है?

वह वयस्क जिसे हानि होने का जोखिम हो उसकी परिभाषा है एक ऐसा व्यक्ति जिसे देखभाल और सहायता की आवश्यकता हो (चाहे स्थानीय प्राधिकारी उन ज़रूरतों को पूरा कर रहा है या नहीं), और दुर्व्यवहार या उपेक्षा का अनुभव कर रहा हो, या उसके साथ ऐसा होने का खतरा हो और वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो।

### देखभाल और सहायता की ज़रूरतें किसे हो सकती हैं?

देखभाल और सहायता व्यावहारिक, वित्तीय या भावनात्मक सहयोग के रूप में ऐसे वयस्कों के लिए हो सकती है जो अपने जीवन का प्रबंधन करने और आत्मनिर्भर रहने में इससे लाभान्वित होंगे। इसमें वृद्ध लोग, विकलांगता या दीर्घकालिक बीमारी वाले लोग और मानसिक रूप से बीमार लोग शामिल हो सकते हैं।

### दुर्व्यवहार और उपेक्षा क्या हैं?

उदाहरण के लिए, दुर्व्यवहार और उपेक्षा विभिन्न तरीकों से होते हैं:

- जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करता है या उसे दुःख पहुंचाता है
- जब कोई व्यक्ति लोगों को परेशान करने या डराने का कोई काम करता है

- जब कोई चिकित्सा या शारीरिक देखभाल की जरूरत को अनदेखा करता है

दुर्व्यवहार और उपेक्षा कहीं भी हो सकते हैं। देखभाल और सहयोग की जरूरतों वाले वयस्कों के साथ किसी के भी द्वारा दुर्व्यवहार किया जा सकता है, जिसमें उनका कोई साथी, परिवार का सदस्य, पड़ोसी, दोस्त, स्वास्थ्य या सामाजिक देखभाल पेशेवर, स्वयंसेवक या कोई अजनबी भी शामिल हो सकता है।

## यदि मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या मैं चिंतित हूँ कि किसी और के साथ हो रहा है तो मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?

यदि आपको लगता है कि आप के साथ या आपके किसी परिचित व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार या उपेक्षा हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जिस पर आप भरोसा करते हैं। आप लीसेस्टर में एडल्ट सोशल केयर टीम (वयस्क सामाजिक देखभाल टीम) को देखभाल और समर्थन की जरूरतों वाले किसी वयस्क के साथ हो रहे दुर्व्यवहार या उपेक्षा की रिपोर्ट कर सकते हैं:

- टेलीफोन द्वारा: **0116 454 1004** (दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन)
- यदि कोई अपराध किया गया है, तो आप लीसेस्टर शायर पुलिस को उनकी वेबसाइट [www.leics.police.uk](http://www.leics.police.uk) के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं अथवा आप **101** पर फोन कर सकते हैं। यदि कोई आपात संकट हो तो **999** पर फोन करें।

## मुझे लीसेस्टर में वयस्कों की सुरक्षा के बारे में अधिक जानकारी कैसे मिल सकती है?

लीसेस्टर में वयस्कों की सुरक्षा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, लीसेस्टर सेफगार्डिंग एडल्ट्स बोर्ड की वेबसाइट [www.leicester.gov.uk/lisab](http://www.leicester.gov.uk/lisab) देखें

यदि आप लीसेस्टर के कोई सामुदायिक समूह हैं और वयस्कों की सुरक्षा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वर्चुअल सेशन के प्रबंध के लिए कृपया लीसेस्टर सेफगार्डिंग एडल्ट्स बोर्ड की इंगेजमेंट अधिकारी, शोभना से [LSAB@leicester.gov.uk](mailto:LSAB@leicester.gov.uk) पर या 0116 454 6270 पर संपर्क करें (कृपया इस मार्ग के माध्यम से दुर्व्यवहार या उपेक्षा की रिपोर्ट न करें)।